

## भारत में संरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण

### प्रलम्ब के लिये:

[राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड \(NBWL\)](#), [हलोगापार गबिबन अभयारण्य](#), [राष्ट्रीय उद्यान](#), [वन्यजीव \(संरक्षण\) अधिनियम, 1972](#), [राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण \(NTCA\)](#), [सामुदायिक रज़िर्व](#), [पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय \(MoEFCC\)](#), [वन \(संरक्षण\) अधिनियम, 1980](#), [WWF इंडिया](#), [काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान](#), [पोबतौरा वन्यजीव अभयारण्य](#), [बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान](#), [राष्ट्रीय हरति अधिकरण \(NGT\)](#)।

### मेन्स के लिये:

संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीव आवास के संरक्षण का महत्त्व।

[स्रोत: हदुस्तान टाइम्स](#)

## चर्चा में क्यों?

[राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड \(NBWL\)](#) ने असम के [हलोगापार गबिबन अभयारण्य](#) में तेल अन्वेषण हेतु एक कंपनी की सहायक कंपनी के प्रस्ताव को विलंबित कर दिया, जो लुप्तप्राय [हलोक गबिबन](#) का आवास स्थल है।

- भारत की एकमात्र वानर प्रजाति के आवास के रूप में इस अभयारण्य का महत्त्व, तथा अतिक्रमण और विकास पर बढ़ती चिंताओं के कारण विकास एवं संरक्षण के बीच संतुलन बनाने पर चर्चा की जा रही है।

## भारत में संरक्षित क्षेत्र और संबंधित विनियम क्या हैं?


### परिचय:

- **संरक्षित क्षेत्र (PA)** ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्र हैं जिनका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना और वन्यजीवों को मानवीय हस्तक्षेप से बचाना है।
- **वर्गीकरण और विनियमन:**
  - **राष्ट्रीय उद्यान:** [राष्ट्रीय उद्यान](#) भारत में सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र हैं, जो उच्च स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
    - इन क्षेत्रों का संरक्षण [वन्यजीव \(संरक्षण\) अधिनियम \(WPA\), 1972](#) के तहत किया जाता है, तथा वैज्ञानिक [अनुसंधान एवं नियंत्रित पर्यटन को छोड़कर](#), इनकी सीमाओं के भीतर किसी भी मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं है।
    - खनन, लकड़ी काटना और पशुओं को चराना जैसी विकासवादी गतिविधियाँ सख्त वर्जित हैं।
    - राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन का कार्य [राज्य सरकार](#) का है, लेकिन [राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड \(NBWL\)](#) और [राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण \(NTCA\)](#) भी इसमें, विशेष रूप से बाघों जैसी वंशित प्रजातियों के लिये, महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - **वन्यजीव अभयारण्य:** [वन्यजीव अभयारण्य भी WPA, 1972](#) के अंतर्गत आते हैं, लेकिन [राष्ट्रीय उद्यानों](#) की तुलना में कुछ अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं।
    - वे कुछ मानवीय गतिविधियों, जैसे चराई और वन उत्पादों के संग्रहण की अनुमति देते हैं, बशर्ते कि वे वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें।
    - अभयारण्यों का प्रबंधन वन्यजीव संगठनों और विशेषज्ञों के सहयोग से [राज्य वन विभागों](#) के अधिकार क्षेत्र में आता है।
  - **संरक्षण रज़िर्व:** [संरक्षण रज़िर्व WPA](#) के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र हैं जहाँ वन्यजीव और जैव विविधता संरक्षित है, लेकिन मानव गतिविधियों, जैसे चराई और जलाऊ लकड़ी संग्रह, को विनियमन के तहत अनुमति दी जाती है।
    - इन क्षेत्रों का निर्माण महत्त्वपूर्ण आवासों को सुरक्षित रखने, वन्यजीव गलियारों की रक्षा करने तथा अत्यधिक संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता को संरक्षित करने के लिये किया गया है।
    - ये क्षेत्र [स्थानीय समुदायों](#) को स्थायी आजीविका बनाए रखते हुए संरक्षण प्रयासों में भाग लेने की अनुमति देते हैं।
    - [राज्य सरकार](#) स्थानीय हितधारकों और संरक्षणवादियों की भागीदारी से इन क्षेत्रों का प्रबंधन करती है।
  - **सामुदायिक रज़िर्व:** [सामुदायिक रज़िर्व](#) संरक्षण हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र हैं, जिनमें प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीव के संरक्षण में [स्थानीय समुदायों](#) की प्रत्यक्ष भागीदारी शामिल होती है।

- ये रज़िर्व नज़ी या सामुदायक स्वामतत्व वाली भूमिपर स्थापति कथि जा सकते हैं , जनिका लक्ष्य जैव वविधिता संरक्षण एवं सतत संसाधन प्रबंधन में सुधार करना है ।
- पर्यटन, कृषि और छोटे पैमाने पर वन उत्पाद नषिकर्षण जैसी गतविधियिं तब तक अनुमेय हैं जब तक वे संरक्षण लक्ष्यों के अनुरूप हों ।
- इसका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा कथि जाता है, लेकिन इसमें स्थानीय समुदायों और गैर सरकारी संगठनों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान होता है ।


## वनियामक प्राधिकरण

- **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC):** MoEFCC राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव संरक्षण एवं वन प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार शीर्ष नकियाय है ।
  - यह संरक्षति क्षेत्रों के विकास और रखरखाव के लिये नीतियिं, दशिया-नरिदेश तैयार करता है तथा वतितपोषण उपलब्ध कराता है ।
  - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत वन्यजीव वभिाग वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की देखरेख करता है तथा WPA के अनुपालन को सुनश्चिचति करता है ।
- **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL):** NBWL एक सलाहकार नकियाय है जो संरक्षति क्षेत्रों में या उसके आसपास परियोजनाओं के अनुमोदन सहति संरक्षण के मुद्दों पर सफिारशिं प्रदान करता है ।
  - यह नए संरक्षति क्षेत्रों और उनकी प्रबंधन योजनाओं को मंजूरी देने के लिये भी ज़िम्मेदार है ।
- **राज्य वन वभिाग:** प्रत्येक राज्य का अपना वन वभिाग होता है जो अपने अधिकार क्षेत्र में संरक्षति क्षेत्रों का प्रबंधन करता है । यह वभिाग दनि-प्रतदिनि के कार्यों, संरक्षण कानूनों के प्रवर्तन और वन्यजीव आबादी की नगिरानी के लिये ज़िम्मेदार होता है ।
  - ये वभिाग वन (संरक्षण) अधनियिम, 1980 को लागू करने के लिये भी ज़िम्मेदार हैं, जो संरक्षति क्षेत्रों में आने वाले वन क्षेत्रों सहति वनों की कटाई और भूमिउपयोग परिवर्तन को नयित्तरति करता है ।
- **वन्यजीव संरक्षण सोसायटी और गैर सरकारी संगठन:** वभिनिन वन्यजीव संरक्षण संगठन, जैसे कभिारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसायटी (WPSI) और WWF इंडिया, संरक्षति क्षेत्रों की ज़िमीनी सुरक्षा, अवैध गतविधियिं की नगिरानी तथा मज़बूत संरक्षण कानूनों के समर्थन में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिताते हैं ।



# राष्ट्रीय उद्यान- II

106 राष्ट्रीय उद्यान (2022)



## परिचय

- पारिस्थितिकी, प्राणिजगत, वनस्पति, भू-आकृति अथवा जंतु जगत संबंधी महत्व को संरक्षित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान/नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।
- इन क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 के तहत सुरक्षा प्राप्त होती है।
- राष्ट्रीय उद्यान के भीतर राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा WPA में उल्लिखित शर्तों के तहत प्रदान की गई अनुमति के अलावा, किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है।

## तथ्य

- गिर राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात): एशियाई सिंहों/शेरों का एकमात्र निवास।
- कुनो राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश): नामीबिया से लाए गए चीतों को यहाँ पुरःस्थापित किया गया (प्रोजेक्ट चीता के तहत; बड़े जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर-महाद्वीपीय स्थानांतरण से जुड़ी विश्व की पहली परियोजना)।
- सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल): यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है (1987) और मैंगोव वनों का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र भी है।



//

## संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ क्या हैं?

- **अतिक्रमण और वकिसात्मक गतिविधियाँ:** सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र, खनन कार्य और अन्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ संरक्षित क्षेत्रों पर अधिक से अधिक दबाव डाल रही हैं।
  - उदाहरण के लिये, काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर सड़क निर्माण और पोबतौरा वन्यजीव अभयारण्य के पास औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के प्रस्तावों ने आवास वनाश के बारे में चर्चाएँ उत्पन्न कर दी हैं।
- **प्रवर्तन और नगिरानी का अभाव:** PA के प्रबंधन में महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन का अभाव है।
  - कुछ मामलों में, संरक्षित क्षेत्र अपर्याप्त जनशक्ति, खराब नगिरानी प्रणाली और भ्रष्टाचार के कारण अवैध गतिविधियों को रोकने में असमर्थ हैं।



